

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद-देवरिया

पत्रांक 56 / 16 न0पा0परि0 (2016-17)

दिनांक : 05-08-2016

अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग निधि अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के शासनादेश सं0- 8/8780/171/14वें सी0एफ0सी0/2015-16 लखनऊ दिनांक-04.09.2015 द्वारा प्राप्त धनराशि रू0 5748158.00 के अवशेष धनराशि एवं शासनादेश सं0- 8/129/171/14वें वि0आ0/2015-16 लखनऊ दिनांक-09.05.2016 द्वारा प्राप्त धनराशि रू0 5748158.00 के अवशेष धनराशि से तथा राज्य वित्त आयोग निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित निर्माण कार्यों को कराने हेतु दिनांक- 20.08.2016 को अपराहन 3 बजे तक मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो जिलाधिकारी कार्यालय के एल0बी0सी0 पटल पर रखी निविदा पेटिका में डाली जायेगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराहन 4 बजे जिलाधिकारी कार्यालय, देवरिया में सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जायेगा। निर्माण कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के कार्यालय से निधारित शुल्क जमा कर दिनांक- 17.08.2016 को सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0/के0वी0पी0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पद नाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया-प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी।

अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेबसाईट www.deoria.nic.in पर उपलब्ध होगा।

कार्य का विवरण

14वें वित्त आयोग निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्य:-					
क्रम सं0	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	जमानत धराशि	निविदा मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1. जल निकासी मद					
1	जितेन्द्र जायसवाल के दुकान से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य, वार्ड सं0- 15,	429500.00	42950.00	500.00	30.12.2016
2. सड़कों का रख-रखाव					
2	सरयू माता मन्दिर से ओम प्रकाश के मकान तक सी0सी0 रोड रिपेयर/मरम्मत निर्माण कार्य, वार्ड सं0-20,	305500.00	30550.00	300.00	30.12.2016
3. श्मशान, कब्रिस्तान व सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव मद					
3	कर्वला के पास अंसारी कब्रिस्तान का बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, वार्ड सं0- 10,	1522000.00	152200.00	1500.00	30.12.2016
4	श्री नर्देश्वर मिश्र घाट पर निर्मित सीढी पर बरामदा निर्माण कार्य, वार्ड सं0- 17,	1405500.00	140550.00	1400.00	30.12.2016
5	तुलसीदास घाट पर चबूतरा निर्माण व सुन्दरीकरण कार्य, वार्ड सं0- 20,	835500.00	83550.00	800.00	30.12.2016
6	सन्त रविदास मन्दिर के पास रैन बसेरा निर्माण कार्य, वार्ड सं0-20,	1274000.00	127400.00	1300.00	30.12.2016


राज्य वित्त आयोग निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्य :-

क्रम सं०	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	धरोहर धनराशि	स्टेशनरी, निविदा मूल्य व ट्रेड टैक्स	कार्य समाप्ति की तिथि
1	नगरपालिका गौरा बरहज सीमान्तर्गत कस्तूरबा विद्यालय के सामने नवनिर्मित पार्क में, स्व० श्री मोहन सिंह जी, की मूर्ति स्थापना, वाटर फाउन्टेन, झूला, डस्टबीन, बेन्च, चौकीदार रुम, इण्टरलाकिंग रोड, वृक्षारोपण एवं सुन्दरीकरण कार्य।	6405000.00	640500.00	2340.00	30.12.2016

नियम व शर्तें-

1. निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र एवं वैट पंजियन प्रमाण-पत्र तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया-प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्यों में निविदादाता को अपनी निविदा के साथ 10% की दर से निर्धारित जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/नगद आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग जमानत हेतु कि०वि०प०/एन०एस०सी०/बैंक एफ०डी०आर०/पी०डी०आर०/नगद जमा करना आवश्यक होगा।
3. निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
4. ठेकेदार/फर्म को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।
5. ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्य का कार्यादेश दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार/फर्म द्वारा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।
6. ठेकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा, निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/ न०पा० द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
8. जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोष जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
9. निविदादाता को अपनी निविदा स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।
10. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
11. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अंकित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
12. किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
13. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
14. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
15. 14वें वित्त आयोग के धनराशि के भुगतान की अवधि 31.03.2017 तक ही है।
16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निर्माण कार्यों में नविदा दर प्रतिशत में देना अनिवार्य होगा।
17. सम्बन्धित निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
19. निविदा अध्यक्ष/अधिशारी अधिकारी के नाम शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा, लिफाफे पर प्रेषक का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट लिखा अनिवार्य है।

20. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों व संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपका ठेका/अनुबंध निरस्त कर दें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी/आपके द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपके विरुद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।
21. यह कि टी-6, स्वघोषणा शपथ-पत्र रू0 100/- (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा। जिसे निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


(निलेश रमन)

अधिकाारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया


(अजीत जायसवाल)


अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

पत्रांक / 16 न0पा0परि0(2016-17) तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" एवं "हिन्दुस्तान" को इस आशय से प्रेषित है कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कार्यालय मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।


अधिकाारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया


अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया